जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 9 मासिक नई दिल्ली मई 2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

संप्रग - द्वितीय का प्रथम वर्ष का समापन - पूँजीवादोन्मुख एवं जनविरोधी नीतियों की छाप

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय की सरकार कम से कम इस बात से वह बहुत खुश है कि उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वामदलों के समर्थन की जरूरत नहीं है। इस आश्वस्त परिस्थिति को बेहद फायदेमंद मानते हुए वे अपने पुराने आर्थिक सुधारों के रास्ते पर चल रहे हैं, जिन पर अपने संप्रग प्रथम के शासनकाल के दौरान स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चल पा रहे थे। संप्रग-द्वितीय के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में यह देखा गया कि सरकार नवउदारवादी नीतियों को बड़े जोर-शोर से चलाना चाहती है, जिसकी मदद से कारपोरेट घरानों को बहुत फायदा हो रहा है, जबकि गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने बजट के माध्यम से कारपोरेट घरानों को 80,000 करोड़ रुपयों की कर राहत उपहार स्वरूप दे चुकी हैं। परन्तु सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिये आवश्यक आर्थिक सहयोग नहीं दे रही हैं। एक आकलन के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून को पाँच वर्षों तक चलाने के लिये 1.71 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार लगातार राज्यों को लेकर अपना राग अलाप रही हैं जिसके अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिये सहयोग राशि का अनुपात 55:45 की बात करती है, जबकि अधिकांश राज्य इस संदर्भ में आवश्यक राशि जुटा पाने में अपनी असमर्थता पहले ही व्यक्त कर चुके है। यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय सराकर शिक्षा के अधिकार कानून का ढिंढोरा पीट कर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती है और इस कानून के सही मायने में लागू कराने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल के समापन में संप्रग द्वितीय सरकार ने संप्रग प्रथम के कार्यकाल के अधूरे पड़े कार्यक्रमों को पुन: शुरू किया। सरकार ने अपना ज्यादा ध्यान लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों जैसे - सैल, ऑयल इण्डिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी आदि की विनिवेश आदि पर लगाया। सरकार ने वर्तमान वर्ष में 25000 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य बनाया। अंतत: यह रास्ता इन उपक्रमों में निजी क्षेत्रों को बढ़ाकर गैर-राष्ट्रीयकरण का मार्ग खोलता है और निजीक्षेत्र को प्रोत्साहन देता है। संप्रग सरकार की पूँजीवादोन्मुख आर्थिक नीति से आम आदमी का अहित हो रहा है। इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सरकार ने पीपीपी (प्राईवेट-पब्लिक पार्टनरशिप) मॉडल का प्रारम्भ रेलवे सहित कई बड़े क्षेत्रों में करने का कार्य जोर-शोर से किया है। इस तरह वे सार्वजनिक उपक्रमों को नष्ट कर देंगे।

कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय सरकार महँगाई रोकने में बुरी तरह विफल तो रही है, साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुख्य लक्ष्य को भी कमजोर कर दिया। वामदलों सहित अन्य पार्टियों के बार-बार विरोध करने के बाद भी सरकार लाभ कमाने वाले कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिये वायदा कारोबार, विशेषकर खाद्य अनाजों में, रोक नहीं लगा रही है। उर्वरकों के मूल्य वृद्धि और उर्वरकों में दी जाने वाली राहतों में कटौती एक साथ देखी जा रही है, जिससे गरीब किसानों को गहरा आघात लगा है, जिससे हजारों किसान कर्जे भारी बोझ से दबकर आत्महत्या करने को बाध्य हो गये। संप्रग-द्वितीय ने और आगे कदम बढ़ाते हुये अत्य उत्साह के साथ पेट्रोलियम-डीजल की कीमतें बढ़ाई और इस तरह मुद्रा स्फिति की दर को बढ़ाने में मदद की। कांग्रेस नीत संप्रग-द्वितीय के प्रथम वर्ष के समापन के अंतिम दिनों में यह देखा गया कि सरकार गैर-खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में जो केन्द्र सरकार के सहमति से प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ाकर के महँगाई की दर में इजाफा किया। सरकार ने प्राकृतिक गैस का मूल्य दोगुना से भी अधिक बढ़ाया, जो 4.20 प्रति मिलियन डॉलर ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गया। गैर आधारित ऊर्जा के संयंत्र और सार्वजनिक यातायात और महँगे हो गये, जिससे अंतत: महँगाई में वृद्धि हुई। वास्तव में ऊँचे गैस मूल्य उद्योगों के लिये घातक प्रभाव देने वाले हैं। ऊर्जा की कीमतें, सीएनजी, पीएनजी और किसानों के उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसा कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय की जन-विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है।

कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय के प्रथम वर्ष के कार्यकाल से लाखों बेरोजगा युवकों को निराशा हुई हैं। निजीकरण और शिक्षा के व्यवसायिकरण इस एक वर्ष के कार्यकाल में कटु अनुभव दे गये हैं। उच्च शिक्षा और गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम सुविधाभोगी वर्ग के लिये मायने रखते हैं। पारंपरिक भारतीय शिक्षा तंत्र को कांग्रेस नीत संप्रग सरकार से गहरा झटका लगा है, क्योंकि इसमें भारतीय धरती पर विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश

का रास्ता सहज कर दिया। यह सरकार आईपीएल के घोटालों और अवैध खनन के आवंटन में 2-जी स्पेक्ट्रम के संदर्भ में विफल रही हैं। 3-जी स्पेक्ट्रम और 2-जी स्पेक्ट्रम की कीमतों में भारी अंतर स्पष्ट रूप से संचार मंत्री ए. राजा के भ्रष्ट तरीकों की तरफ इशारा करते हैं। परन्तु प्रधानमंत्री अपने सहयोगी घटक दल के हितों की रक्षा कर अपनी सुरक्षा में सफाई देते हुये देखे जा रहे हैं। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार माओवादी आतंक से निपटने के मुद्दे पर असफल रही हैं जो एक गम्भीर विषय है। माओवादी हिंसा से प्रभावित सभी राज्यों को विश्वास में लेकर एक विशाल रणनीति बनाने में सरकार विफल रही हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री महोदय अपने एक अन्य सहयोगी पश्चिम बंगाल के घटक दल जो सार्वजनिक रूप से सरकारी नीतियों की आलोचना करता है, के प्रकरण में आश्चर्यजनक रूप से मौन साधे रह गये। संप्रग द्वितीय सरकार ने अपने गठबंधन को सुरक्षित रखने में कई अवांछनीय और अलोकतांत्रिक समझौते किये है, जिससे देश के राष्ट्रीय हितों को आघात पहुँचा है।

भारत-अमेरिका नाभिकीय सौदे पर हस्ताक्षर के साथ अमेरिकी दबाव बढ़ने लगा और शर्मनाक तरीके से संप्रग सरकार ने भारत-अमेरिका नाभिकीय दायित्व विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में अधिकतम दायित्व 500 करोड़ तक उल्लिखित है जो दुर्घटना के बाद दिया जा सकेगा। विपक्षी दलों ने उपर्युक्त विधेयक का विरोध किया कि इस तरह संविधान में दिये गये नागरिक अधिकारों की खुली अवहेलना होगी।

शर्मनाक ढंग से संप्रग द्वितीय सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित करने में असफल रही, जबकि कृषि उत्पाद चौंकाने वाले नयूनतम स्तर पर है। यह सरकार महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में भी असफल रही है और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागू कराने में असफल रही हैं। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल विधेयक पास किया जिसमें बड़े कारपोरेट घरानों को पर्यावरण उल्लंघन मामलों में तीव्र और उनके अनुकूल निपटाने में सहायता मिलेगी। इस तरह अपने एक वर्ष के कार्यकाल में यह सरकार जन-विरोधी और पूँजीवादोन्मुख आर्थिक नीतियों को चलाने की छाप छोड़ गयी।

जाति आधारित जनगणना: आरक्षण नीति के लिये आवश्यक

2011 की जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। परन्तु इसने पूरे देश में एक विवाद छेड़ दिया कि जनगणना जाति आधारित क्यों हो ?केन्द्र सरकार भी इसे स्वीकार नहीं करती है, गृहमंत्री अभी भी जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं और उनके अनुसार जमीनी स्तर पर जनगणना करने वाले व्यक्तियों की गणना कर रहे हैं, वे जातियों का सत्यापन करते हुये जाति आधारित जनगणना के दुरुह कार्य को एक साथ नहीं कर सकते हैं। परन्तु गृह मंत्री का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। जैसा कि बताया गया कि जाति आधारित जनगणना जो बाद में सामने आई करवाने पर बहुत अधिक धनराशि खर्च होगी। वास्तव में केन्द्र सरकार इस विषय पर विभाजित है। कई केन्द्रीय मंत्री जैसे कानून मंत्री विरप्पा माईली ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की और कहा कि इसके ताजा आंकड़ों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों वर्गों की भलाई के कार्य संभव हो सकेंगे।

जाति हमारी वर्तमान समाज की एक सच्चाई है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जाति आधारित जनगणना की मांग करना जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है, यह तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण जैसे प्रावधानों के द्वारा न्यायोचित तरीके से प्रगति पर लाने के लिये आंकड़े उपलब्ध कराने का माध्यम है। इसके पहले वर्ष 1931 में जाति आधारित जनगणना हो चुकी है और आज भी हम 80 वर्ष पुराने आंकड़ें के आधार पर आरक्षण नीति को लागू करते जा रहे हैं। यह पूरी तरह अवैज्ञानिक है और हम सरकार से मांग करते हैं कि वह तुरन्त जाति आधारित जनगणना की मांग को स्वीकार करें और इसके अनुसार कार्य करें। वर्तमान में केन्द्र और राज्यों के बीच पिछड़े वर्गों के हित में रोजगार और शैक्षणिक कार्यक्रम को लेकर खींचतान बनी रहती हैं। यह खींचतान न्यायोचित तरीके से समाप्त हो सकती है अगर सही आंकड़ा उपलब्ध हो जाये।

वर्ष 1991 को हम नहीं भूल सकते जब पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिये संविधान की धारा 15 में संशोधन किया गया जबकि पिछड़े वर्ग के संदर्भ में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। संविधान के 93वें संशोधन को स्वीकार करते हुये उच्चत्तम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हमारे पास जाति आधारित कोई आंकड़ा नहीं है। यदि न्यायालय अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को इस आधार पर खारिज कर दे कि उनका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है तो यह एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

हम दृढ़ता पूर्वक जातिवाद, समाज में असमानता फैलाने वाले आदि विभाजनकारी धारणाओं का विरोध करते हैं। परन्तु पिछड़े वर्गों के विकास के लिये सभी प्रभावकारी कदम उठाने का समर्थन करते हैं। इनके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आरक्षण जैसे और अन्य प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिये। इसी मूल उद्देश्य को लेकर 2011 जनगणना को जाति आधारित जनगणना स्वीकृत कराने के लिये हम कटिवद्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखण्ड में पंचायत चुनाव नहीं

जनार्दन पाण्डेय

राँची : झारखण्ड में अविलंब पंचायत चुनाव कराये जाने की मांग के संबंध में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक माकपा, भाकपा, आर.एस.पी., राजद, लोजपा, सपा का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल 12 मई 2010 को राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात् संविधान के भाग–प अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243(1) और 243 एम(4) एवं (वी) के अनुसार पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय पीठ ने 12 जनवरी 2010 को दिये गये अपने सर्व सम्मत फैसले में झारखण्ड के राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव अविलंब काराये जाने का निर्देश दिया है "द स्टेट इलैक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखण्ड इज डायरेक्टेड टु कंडक्ट इलैक्शन्स फॉर दि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन्स (पीआरआई) ऐज अर्लि ऐज पोसिबल"।

झारखण्ड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ इसके गठन होने के बाद से पंचायत चुनाव नहीं कराये गये हैं। पिछला पंचायत चुनाव संविधान के 73वें संशोधन लागू होने के पूर्व में 1978 में कराया गया था जब वर्तमान झारखण्ड बिहार का हिस्सा था।

सभी 8 अन्य राज्यों जहाँ संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हैं वहाँ पंचायत चुनाव कराया जा चुका है। इकलौता झारखण्ड राज्य ही बाकी रह गया है।

झारखण्ड में निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं रहने से सूबे की ग्रामीण आबादी इन राजनैतिक संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों को चूनने के अपने राजनैतिक अधिकार से वंचित है। वे पंचायत प्रणाली में ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन में अपनी भागीदारी के अधिकार से वंचित हैं। नौकरशाही द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है, वन अधिकार कानून के तहत वे अपने अधिकारों से वंचित है। ग्रामीण विकास के लिए मिलने वाली हजारों करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से वंचित है और राज्य में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्ट अधिकारियों – बिचौलियों – ठेकेदारों के गठजोड़ द्वारा नरेगा, जन वितरण प्रणाली, जमीन हड़पे जाने ग्रामीण विकास में लूट आदि के माध्यम से ग्रामीण जनता को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है।

हमारी मांग है कि उच्चत्तम न्यायालय के 12 जनवरी 2010 के आदेश के आलोक में झारखण्ड में पंचायत चुनाव कराये जाने के लिए तत्काल पहल किया जाये। प्रतिनिधि मंडल में साथी जनार्दन पाण्डेय, साथी उमाशंकर पाण्डेय (फारवर्ड ब्लॉक), साथी ज्ञान शंकर मजुमदार, साथी राजेन्द्र सिंह मुण्डा (माकपा), साथी के.डी. सिंह व साथी पी.के. गांगुली (भाकपा), साथी गिरिनाथ सिंह, साथी अन्नपूर्णा देवी, साथी संजय सिंह यादव, साथी मनोहर यादव (राजद), साथी सीताराम दुबे (आरएसपी), साथी मिथिलेश पासवान, साथी विजय सिंह (लोजपा), साथी जहां आरा (सपा) आदि नेतागण मौजूद थे।

महामहिम राज्यपाल ने मनोयोग पूर्वक प्रतिनिधियों की बातें सुनी एवं तत्काल हर संभव कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

वामपंथी पार्टियों का ऐलान : महँगाई के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन किया जायेगा

वामपंथी पार्टियां – सीपीएम, सीपीआई, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी की संयुक्त बैठक 15 मई को नई दिल्ली में हुई। बैठक में निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया गया:

खाद्य सुरक्षा और महँगाई विरोधी आंदोलन :

वामपंथी पार्टियों ने महँगाई तथा अन्य संवद्ध मुद्दों पर जारी आंदोलन का जायजा लिया। यह तय किया गया कि जुलाई माह के आरम्भ में महँगाई, खाद्य सुरक्षा तथा अन्य संवद्ध मुद्दों पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित की जाए। इस कन्वेंशन से ही आगे की कार्यवाही की दिशा का ऐलान किया जायेगा।

पोस्को संघर्ष – बल प्रयोग रोको :

उड़ीसा में जगत सिंह–पारदीप के इलाके ममें उपजाऊ भूमि के विशाल टुकड़ों को कब्जे में लेने की पोस्को के लुटेरी चालों का प्रतिरोध कर रहे तथा उनका रास्ता रोक रहे हजारों स्त्री–पुरूषों के खिलाफ सशस्त्र पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किया गया है तथा उन पर गोली चलायी गयी है। वामपंथी पार्टियां इसकी भर्त्सना करती हैं।

15 मई 2010 को सशसत्र बलों की 40 से ज्यादा प्लाटूनें जुटायी गयी थीं। ये प्लाटूनें पोस्को के स्थल पर टूट पड़ी और उन हजारों स्त्री–पुरुषों से टकराव पर उतर आयीं, जो पिछले कई महीने से यहां धरने पर बैठे रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र पुलिस ने लाठियां बरसायीं, आंसू गैस छोड़ी और रबर की गोलियों से फायर भी किए। इसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हटकर अपने गांवों में लौट गए हैं। इसमें सौ से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 60 महिलाएं भी शामिल हैं। जगतसिंह पुर से सीपीआई के सांसद को इससे पिछली रात में ही हिरासत में ले लिया गया था। जिस समय गोलियां चलायी गयीं, सीपीआई तथा सीपीएम के राज्य नेता मौके पर मौजूद थे। सरकार द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने बम फैंके थे। यह सरासर झूठ है।

लोग इसके खिलाफ भी विरोध जता रहे थे कि पोस्को, मौजूदा पारदीप बंदरगाह के साथ ही अपना एक अलग घरू बंदरगाह बनाना चाहता है, जिसका पारदीप बंदरगाह पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पोस्को का इरादा यह भी है कि उड़ीसा खान निगम से अयस्क खरीदने के बजाये, लौह अयस्क की भी घरू खदानें हासिल करे। पोस्को की योजना महानदी बराज से पानी खींचने की है, जिसका सिंचाई व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा और इससे इस क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को भी हानि पहुँचेगा। इन सब चिंताओं को अनदेखा करते हुए, केन्द्र व राज्य की सरकारें अपनी कोशिशों में पोस्को का ही साथ देती रही हैं।

वामपंथी पार्टियां मांग करती हैं कि राज्य सरकार, आंदोलनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करना बंद करे।

बंगाल में माओवादी हत्याओं भर्त्सना :

पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर जिल में चार सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं की – जो सभी खेत मजदूर थे – और पुरूलिया में एक कार्यकर्ता की माओवादियों द्वारा हत्या की वामपंथी पार्टियां कड़ शब्दों में भर्त्सना करती हैं वे तमाम जनतांत्रिक शक्तियों का आह्वान करती हैं कि इस तरह की हिंसा की भर्त्सना करें।

नागरिक सम्मेलन की पुकार : "देश प्रेम दिवस" के लिये देशभर में सशक्त आंदोलन की आवश्यकता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित करने की भारत की जनता की दशकों मांग के संदर्भ में संप्रग–द्वितीय के शर्मनाक विचारों के विरोध में नई दिल्ली के कंस्टिट्युशन क्लब, रफी मार्ग में 5 मई 2010 को नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्ताओं और श्रोताओं से खाचाखच भरे हॉल में प्रस्तावित किया गया कि "देशप्रेम दिवस" के पक्ष में अधिक से अधिक जन आंदोलन किया जायेगा।

सभा के आरम्भ में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के सचिव एवं सांसद साथी डॉ. बरूण मुखर्जी ने सभा के मुख्य लक्ष्य को साधते हुये अँग्रेजी भाषा में प्रस्ताव का वर्णन किया। उन्होंने कहा "जब आज के नौजवनों में देशभक्ति की भावना को जागृत की की आवश्यकता है ऐसे में इस मांग की आवश्यकता काफी महत्त्वपूर्ण है। जब स्कूल, कॉलेजों में एक बार देशप्रेम दिवस मनाना आरम्भ कर देंगे तो हमारे देश के नयी पीढ़ी इससे प्रेरित होगी और उनमें देश प्रेम की भावना आयेगी जो देश के विकास में सहायक होगी।" पार्टी की केन्द्रीय सचिव मण्डल के सदस्य साथी जनार्दन पाण्डेय ने प्रस्ताव के हिन्दी संस्करण को प्रस्तुत किया।

केन्द्रीय सचिव मण्डल सदस्य एवं पूर्व सांसद साथी सुब्रत बोस ने सभा की अध्यक्षता की, जिसे केन्द्रीय सचिव मण्डल सदस्य साथी जी. देवराजन ने सही तरीके से कार्यवाही का संचालन किया।

सभा को कई बड़े राजनेताओं ने संबोधित किया जैसे – सीपीएम महासचिव साथी प्रकाश करात, सीपीआई महासचिव साथी ए.बी. वर्द्धन, फारवर्ड ब्लॉक साथी देवब्रत बिश्वास, आरएसपी महासचिव साथी अबनी रॉय, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आईएनएलडी नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला, समाजवादी पार्टी नेता एवं सांसद श्री ब्रिज भूषण तिवारी, जनतादल (सेकुलर) नेता, पूर्व प्रधानमंत्री एवं सांसद श्री एच.डी. देवेगौड़ा और वयोवृद्ध सामाजिक नेता श्री सुरेन्द्र मोहन। सभी नेताओं ने कांग्रेस नीत संप्रग – द्वितीय सरकार के नेताजी के प्रति इस प्रकार के विद्वेष रवैये की घोर निंदा की और इसके लिये सशक्त जन आंदोलन की मांग की। सभी ने देशप्रेम दिवस की मांग के समर्थन में अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। साथी प्रकाश करात ने कहा जब भी इस मांग के प्रति आवश्कता होगी सीपीएम उसमें पूरा समर्थन देगा। साथी ए.बी वर्द्धन ने अतीत में नेताजी के गलत आकलन के लिये माफी मांगी और कहा नेताजी देश के महान देशभक्त थे। साथी देवब्रत बिश्वास ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की घोर निंदा करते हुये कहा कि इन्होंने सिर्फ नेताजी को पूरा सम्मान देने में असमर्थ नहीं रहे, बल्कि इन्होंने देश की जनता को भी गुमराह करने का हर प्रयत्न किया। श्री

एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा की कर्नाटक में इस मांग के समर्थन सभी प्रकार से सहयोग देंगे। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस मांग की आवश्यकताओं को उजागर किया और कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक जन आंदोलन होने चाहिये। साथी सुब्रत बोस ने लोगों से आग्रह किया कि नेताजी के देशभक्ति विचारों के बैनर तले जनता को एकजुट करने की आवश्यकता है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग जैसे – सांसद, विधायक, मंत्री, आजाद हिन्द फौज के पूर्व सिपाही, छात्र और नेताजी के आस्तिक लोग इस सम्मेलन की शुभकामना के लिये उपस्थित थे।

किसानी का संकट और समाधान

जयंत वर्मा

भारत में किसानी का संकट दिन–ब–दिन गहराता जा रहा है। अनिश्चित मौसम पर टिकी खेती–किसानी को सरकार की नीतियों ने घाटे का सौदा बना दिया है। अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में भारत में लघु और सीमान्त किसान की औसत दैनिक आय 17 रुपये थी। उड़ीसा में सबसे कम 6 रुपये तथा मध्य प्रदेश में 9 रुपये प्रतिदिन थी। भारत में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली खेती–किसानी में दिन रात मेहनत करके अपना खून–पसीना एक कर रहे किसान को छोड़ जितने भी पक्षकार हैं उन सभी के लिए हरित क्रांति वरदान साबित हुई है। कृषि में प्रयंक्त होने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक बीज उपकरण तथा मशीन निर्माता और विक्रेता; खाद्यान्न के व्यापार में लगे आढ़तिये और व्यापारी ; खाद्यान्न के मूल्य संवर्धन में लगे उद्योगपति और विक्रेता ; किसान को कर्ज देने वाले सरकारी–सहकारी बैंक और साहूकार ; सभी ने भरपूर मुनाफा कमाया और हरित क्रांति के कारण मालामाल हो गए। सरकार कृषि भवन सहित सरकार के कृषि विभाग के गलियारों में एग्री बिजनेस के दलाल और पैरोकार घूमते हैं और नीतियों तथा बजट को अपने हित में तोड़ने मरोड़ने में लगे रहते हैं। कृषि विश्व विद्यालयों से निकले कृषि वैज्ञानिक भी एग्री बिजनेस को बढ़ाने के काम को अपना धर्म मानते है तथा तद्नुसार काम करते हैं। राजनेता और नौकरशाही की नीयत निजी–हित की दृष्टि से काम करने की होती है। अधिकांश खेती मौसम पर टिकी होने के कारण सर्वाधिक जोखिम किसान के हिस्से में आता हैं।

पूर्व कृषि मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत सिंह ने बयान दिया था कि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी हल चलाया हो। नतीजा यह है कि किसान के नजरिये से खेती को देखने और तद्नुसार नीति बनाने का काम सरकारी तौर पर किया ही नहीं जाता है। कृषि मंत्रालय ने किसान आयोग का गठन किया जिसने यह सिफारिश की है कि किसान की आमदनी संगठित वर्ग के कर्मचारी के बराबर होना चाहिए छठवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 10 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया है जबकि किसान को औसतन दो हजार रुपये प्रतिमाह भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इस आमदनी से वह महज जीवित रहने में समर्थ हो पाता है। खेती में लागत के लिए सरकार ने बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। इस वित्त वर्ष में किसानी के लिए 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये कर्ज दिया जायेगा। मौसम की जरा सी गड़बड़ी से किसान को ऋण अदायगी की क्षमता डगमगा जायेगी और वह कर्ज के बोझ तले दबल जायेगा।

किसानी के संकट से मुक्ति का एकमात्र तरीका खेती में लागत को घटाकर स्वावलंबी खेती की प्रणाली को विकसित करना है। एग्री बिजनेस के लिए यह रास्ता घातक है। सरकार भी इसीलिए स्वावलंबी खेती को बढ़ाने में कोई रूचि नहीं दिखाती क्योंकि सरकारी तंत्र का चप्पा–चप्पा कृषि की लागत को बढ़ाकर फायदा उठाने वाले वर्ग के हिमायती लोगों से भरा है। आंध्र में सेंटर फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द्वारा 25 लाख हेक्टेयर में रसायनयुक्त खेती कराई जा रही है। वहां खेती फायदा का धंधा बन गई है। संस्था के निदेशक डॉ. रामू के पास एक दशक के भीतर समूचे भारत में रसायनयुक्त खेती के द्वारा फायदेमंद कृषि पद्धति विकसित करने की ठोस योजना है। किसानी को संकट मुक्त बनाने का उनका संकल्प सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। जो सरकार लोकहित में काम करने को अपना धर्म मानती है उनके लिए डॉ. रामू की संस्था तकनीकी ज्ञान देने को तैयार है। अनेक राज्य सरकारों के स्वावलंबी जैविक खेती की तकनीक को बढ़ावा देने की घोषणा की है। किन्तु इसे अमल में लाने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति का उनमें अभाव हैं। किसानों की लूट में हिस्सेदारी का प्रलोभन त्यागने से ही यह संभव है। देखना है सरकार एग्री बिजनेस को प्राथमिकता देती हैं या किसानी का लाभ का धंधा बनाती हैं।

शिक्षा का अधिकार मात्र ढिंढोरा पीटने के लिये, न कि वास्तव में लागू करने के लिये

डॉ. बरूण मुखर्जी

संप्रग सरकार अपनी दूसरी पारी में सत्ता ग्रहण करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिये तेजी से बढ़ रही है, इस तरह वह शिक्षा के निजीकरण, शिक्षा के व्यवसायिकरण, गुणवत्ता आधारित देने के नाम पर आम आदमी और धनी वर्ग में भेदभाव, शिक्षा के केन्द्रीयकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार को अधिकाधिक शक्ति प्रदान कर भारत भूमि पर विदेशी विश्वविद्यालयों विशेषकर अमेरिकी कैम्पसों को खोलने का कार्य किया है। इस तरह 1 अप्रैल 2010 को प्रारम्भ किया गया शिक्षा के अधिकार कार्यक्रम को ढिंढोरा पीटने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि सही मायने में इसे लागू करने से सरकार बचती रही हैं।

हालांकि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अधिनियम पर ढिंढोरा पीटकर सरकार ने काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन हम इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में आशंका से मुकर नहीं कर सकते। बच्चों के अधिकारों में एक महत्त्वपूर्ण भाग मुफ्त और उत्तम शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2009 एक बेतुका प्रस्ताव है जो न तो कभी लागू किया जा सका और न ही कभी इसके लिये न्यायोचित कदम उठाया गया। वर्तमान में देश में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लगभग 1 करोड़ बच्चे है जो या स्कूल जाते ही नहीं या जिन्हें बाद में स्कूल से निकलना पड़ता है। लेकिन इसके लिये सरकार के पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, इनकी देख-रेख और पढ़ाई के लिये अधिनियम के तहत सरकार के पास प्रशिक्षित शिक्षक भी नहीं है। एक अनुमान अनुसार इस कार्यक्रम के लिये 5 वर्षों के लिये 1.71 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिये केन्द्र सरकार ने कोई मौद्रिक योजना नहीं बनाई। सरकार इस शिक्षा के अधिकार के कानून के पालन के लिये राज्य सरकारों पर 55:45 के अनुपात को थोप रही है। लेकिन सीमित आगम स्रोतों के चलते राज्य सरकार इसे वहन करने में अपनी असमर्थता जता चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्य सरकारों ने अपनी असमर्थता केन्द्र को सूचित कर दिया। इसके अलावा उत्तर-पूर्व के राज्यों ने भी इसमें अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। इस तरह के रवैये से शिक्षा के अधिकार का कानून के कार्यान्वयन न होने से व्यर्थ साबित होता है।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों को 25000 करोड़ रुपये प्राथमिक विद्यालायों में मुफ्त शिक्षा के लिये खाका तैयार किया गया। जिसमें से केन्द्र सरकार ने 15000 करोड़ रुपये वर्ष 2010-11 के लिये आबंटित किया। लेकिन अगर शिक्षा के अधिकार अधिनियम को उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये और विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक सही अनुपात में तर्क संगत बनाना हो, हर बच्चे के लिये उत्तम शिक्षा देने व शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने का कार्य हो तो यह फण्ड पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के अधिकार के कानून का इतना प्रचार करने के बाद भी अगर इसका पालन नहीं होता तो यह केन्द्र सरकार के लिये बड़े ही शर्म की बात है। यह बात सामने आई है कि संप्रग सरकार पहले ही दुखी, दबले-कुचले गरीब जनता पर शिक्षा उपकर और बढ़ाकर लगायेगी।

इस अधिनियम के लिये सबसे पहली आवश्यकता प्रशिक्षित शिक्षकों की है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश में इसकी कमी है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि उम्र के अनुसार बच्चों का दाखिला दिया जाये, जिसके लिये उसे योग्य समझा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यदि बच्चा उस कक्षा में दाखिला के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस तरह की आवश्ययकताओं की जाँच का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से कक्षा में लोकतांत्रिक भावना के स्थान पर बच्चों के मध्य हीनभावना उत्पन्न होती है। इस तरह से सभी बच्चे एक ही स्तर पर लाने के लिये शिक्षकों को काफी कठिनाई होगी। शिक्षक प्रणाली में यह काफी कठीन समस्या होगी होगी, और वह भी तब जब प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिये 57 लाख शिक्षकों के पद है। वर्तमान में 5.23 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 30:1 होना चाहिये। इसके लिये 5.1 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता हैं। जबकि पहले से ही 5.1 लाख स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात 30:1 से अधिक है। इसके ऊपर ओर जाने पर हम पायेंगे की प्राथमिक स्कूलों में 5.48 लाख और 2.25 लाख उच्च प्राथमिक शिक्षक अप्रशिक्षित है। अत:, जहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों की बड़ी कमी है, बुनियादी सुविधाओं के लिये पर्याप्त केन्द्रीय धन की कमी हो, ऐसे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आशंका होती है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) में कुछ नवीन विचार और प्रावधान अच्छे लग सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उनके क्रियान्वयन में एक ढकोसला ही लगता है। अधिनियम के तहत स्कूलों में अब छात्र के दाखिले के लिये कोई जाँच या चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, अगर कोई स्कूल प्रशासन बच्चों से चंदा या अन्य कोई मांग करता है या बच्चों को पीटता है तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सभी स्कूलों को गुणवत्ता की जांच से गुजरना होगा। अधिनियम के अनुसार, कक्षा 8 तक कोई भी बच्चा अनुतीर्ण नहीं होगा और किसी भी प्रकार की उम्र का प्रमाण पत्र न दिखाने पर उसे दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता है। सार्वभौमिक रूप से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने के तरीका है।

लेकिन अधिनियम में उत्तम शिक्षा की गारण्टी नहीं लेता और बहुत कमजोर होने पर उसे अनुतीर्ण करने का कोई प्रावधान को भी परिभाषित नहीं करता है। जिससे इस अधिनियम की कमजोरियों को उजागर करता है।

समाज में एक सवाल अभी भी उत्सुकता बना हुआ है कि क्या आरटीआई अधिनियम से फेल होने की दर को बढ़ायेगा। नेशनल युनिवर्सिटीज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों की बच्चों की संख्या 2008-09 में 143.4 मिलियन थी जबकि कक्षा 6 से 8 में 53.4 मिलियन तक थी। आरटीआई एक्ट को इस पहेली को सुलझाना ही होगा।

इस अधिनियम के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत तक दाखिला देना होगा, जिसके लिये वे सरकार से प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रावधान से एक बार पुनः निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और इसके साथ-साथ इसका दुरुपयोग भी होगा। जब सरकार के पास फण्ड की व्यवस्था कम है तो नजदीक में तीन वर्ष में एक स्कूल की स्थापना के लिये अधिनियम के प्रावधान को पूरा करने के लिये हेतु अधिक से अधिक निजी स्कूलों का उदय व्यवसायीकरण के लिये होगा। इस तरह से शिक्षा के निजीकरण को एकबार पुनः बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आम आदमी की भावना के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिये निजी स्कूलों की ओर होगा।

संप्रग द्वितीय सरकार के मानव संशाधन विकास मंत्री द्वारा पेश देश में शिक्षा प्रणाली में तीव्रता के जरिये पूरी प्रणाली को स्थानांतरित कर रहे हैं बल्कि निजीकरण को बढ़ावा भी दे रहे हैं।

इसके अलावा मानव संशाधन विकास मंत्री के और कारनामे है जैसे, उन्होंने आरटीई के अलावा 11 और उच्च शिक्षा विधेयकों को प्रस्तुत किया जो शिक्षा केन्द्रीकरण और विदेशी शिक्षा के प्रवेश का रास्ता है। जिसमें दो महत्त्वपूर्ण विधेयक है : (1) "फॉरेन एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन" (रेगुलेशन ऑफ एण्ट्री एण्ड ऑपरेशन) विधेयक 2010 और (2) "नेशनल कमीशन फॉर हाईयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च" (एनसीएचईआर) विधेयक 2010. कैबिनेट से सहमति के उपरान्त, मानव संशाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में पास कराने में जल्द बाजी दिखा रहे हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपसों के भारत में आगमन के लिये संप्रग सरकार फॉरेन यूनिवर्सिटी विधेयक को पास कराने के लिये काफी तत्परता दिखा रही है। मानव संशाधन विकास मंत्री अमेरिका के दो बड़े अधिकारियों के समक्ष अमेरिकी कैंपसों के आगमन की मंशा का इजहार पहले ही कर चुके हैं। इससे भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली बुरी तरह से बर्बाद हो जायेगी और एक नई संस्कृति का आगमन होगा, जिसके तहत भारत का नौजवान अपने देश की तुलना में अमेरिकी की ओर ज्यादा आकर्षित रहेगा। अमेरिकी अधिकारी पहले से ही इसके लिये अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और शिक्षण के ढंग और फीस का अपना ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। विधेयक में उत्तम शिक्षा की कमियों का सुधारने का कोई प्रावधान नहीं है, और न ही इस विधेयक के तहत कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों उच्च शिक्षा प्राप्त कर पायेंगे।

अन्य प्रस्तावित विधेयक है नेशनल कमीशन फॉर हाईयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जिसका पहला लक्ष्य है शिक्षा का केन्द्रीयकरण करना और राज्यों के अधिकारों को गड्ढे में फेंक देना। जिसमें उन सभी शैक्षणिक संस्थाओं ने सहमति जताई है जैसे यूजीसी, एएससीटीई, एनसीटीई आदि, जिससे शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण नहीं होगा तथा इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। इस आयोग के तहत अनुभवियों का एक पैनल तैयार होगा जिसमें से एक विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये एक कुलपतियों का चयन होगा। शिक्षा चक्र में व्याप्त कुसंगतियों को ये कुलपतियों के वांछनीय रूप को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार सात सदस्यों की एक कमिटी होगी जिसमें एक कुलपति होगा जो यह निर्णय लेगा कि देश में उच्च शिक्षा किस प्रकार दी जायेगी। और राज्यों को इन सातों के निर्णयों के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रस्तावित विधेयक के अनुसार सब कुछ केन्द्रीकरण के अनुसार ही होगा, चाहे पाठ्यक्रम तय करने हो सब यही तय करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके संदर्भ में अपना विरोध जता दिया है।

इसके अलावा कपिल सिब्बल का विचार कुछ कुलीन आवासीय विद्यालयों को को भी आरम्भ करने की है जो केवल विज्ञान अथवा फाईन आर्ट की शिक्षा देंगे। अतः उनकी पूरी योजना निजी कोषों पर आधारित है जो केवल अमीर घरानों की शिक्षा तक सीमित रहेगा। सरकार थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकेगा वह आम आदमी को देगी।

27 अप्रैल राष्ट्रीय हड़ताल : संप्रग सरकार के लिए चेतावनी

27 अप्रैल 2010 को देश की 13 पार्टियों (वाम, लोकतांत्रित और धर्मनिरपेक्ष) के संयुक्त आह्वान पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों मे बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। इस हड़ताल की घोषणा वामदलों द्वारा 12 मार्च को दिल्ली चलो रैली और 8 अप्रैल को जेल भरो आन्दोलन में किया गया था।

देश की शोषक जनता ने इसे सफल बनाने के लिये पूर्ण रूप से सहयोग दिया। यह हड़ताल देश की गरीब जनता की ओर से सरकार को एक चेतावनी थी कि यदि आसमान छूती महँगाई पर रोक नहीं लगाई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वामसमर्थित राज्य जैसे केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में

बंद का पुरी तरह सफल रहा। संसद के सदनों में शोर-शराबे के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। 27 अप्रैल को बजट प्रस्तावों के खिलाफ वामदलों के कारण सरकार को कट मोशन का सामना करना पड़ा। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि अनुच्छेद 113(2) (जिसमें सदस्यों को कट मोशन के अधिकार का प्रावधान है) के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुये बजट प्रस्तावों पर कट मोशन लेकर आये। हालांकि कट मोशन हार गया लेकिन एक बार लेकिन एक बार फिर से कुख्यात कांग्रेस के ब्लैकमेल से दागी रवैये को उजागर किया। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल को जनता से बताना चाहिये की उन्होंने हड़ताल में वामदलों के साथ हिस्सा तो लिया लेकिन संसद के भीतर उसी महँगाई के मुद्दे पर कट मोशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया ?

दिल्ली में, आंशिक रूप से हड़ताल काफी सफल रहा। सभी औद्योगिक क्षेत्र बंद थे और श्रमिकों ने हड़ताल में बड़े ही जोश के साथ हिस्सा लिया। कई स्थानों पर महिला श्रमिकों सहित अन्य श्रमिकों ने सड़कें जाम कर रखी थी।

हरियाणा में, हड़ताल का असर कहीं-कहीं देखने को मिला। कई स्थानों पर विरोध रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हरियाणा के किसानों ने बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लिया और महँगाई पर रोक लगाने में सरकार के रवैये की घोर निंदा की।

जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर रैलियों और सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें वाम नेताओं ने संबोधित किया। श्रीनगर शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम के पास एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। जम्मू में भी लोगों ने एक साथ मिलकर हड़ताल में हिस्सा लिया और सभाओं का आयोजन कई स्थानों पर किया।

पंजाब में हड़ताल कई स्थानों पर पूरी तरह सफल रहा। महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों ने अमृतसर, रोपड़ और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रैली निकाली। पंजाब के मजदूरों और किसानों ने हड़ताल और रैली बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में हड़ताल आंशिक असर ही रहा। कई स्थानों पर रैलियां निकाली गई जिनमें मजदूर, किसान, नौजवान और छात्रों ने हिस्सा लिया।

राजस्थान में बड़ी जनसभाओं का आयोजन और रैलियों का आयोजन किया गया। सड़कों को जाम कर दिया गया और औद्योगिक क्षेत्रों को बंद करा दिया गया।

उत्तर प्रदेश में हड़ताल कई स्थानों पर सफल रहा। कई स्थानों पर ट्रेनों के आवागमन भी बाधित किये गये। पूरे राज्य में कई रैलियों और सभाओं का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह बंद थे और सरकारी कार्यालयों में आंशिक रूप से बंदी थी। लोगों ने इस हड़ताल में बढ़चढ़ कर भाग लिया।

बिहार में हड़ताल पूरी तरह सफल रहा। लोगों ने इस हड़ताल में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। विशाल जन रैलियां निकाली गई, कई स्थानों पर वामदलों और राजद के नेताओं ने भाषण दिया। कई नेताओं को हड़ताल आरम्भ होने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रेनों को आवागमन बाधित किया गया और गई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई।

झारखण्ड में जैसा की सोचा गया था, उसी के अनुरूप हड़ताल से पूरा झारखण्ड बंद रहा। कई क्षेत्रों के कामगार मजदूरों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। पूरे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह बंद थे। कई स्थानों पर ट्रेनें रोकी गई।

उड़ीसा में हड़ताल का आंशिक असर रहा। कई स्थानों पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने वामदलों के साथ संयुक्त रूप से हड़ताल में हिस्सा लिया। गरीब किसान, मजदूर और सरकारी कर्मचारियों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। विशाल जनसभाओं और रैलियों का आयोजन कई जिला कार्यालयों के समक्ष किया गया जिसे वामदलों और बीजेडी के नेताओं ने संबोधित किया।

पश्चिम बंगाल में हड़ताल पूरी तरह सफल रहा। पूरे राज्य में 'बंद' का महसूस होता था। पश्चिम बंगाल की जनता ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आसमान छूती महँगाई के लिए जिम्मेदार केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों ने हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यालय पूरे दिन बंद रहे। लेकिन यह हड़ताल आने वाले कल के सवेरे का आगाज था। कई स्थानों पर रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया गया।

आसाम में हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा। विशाल रैलियों और जनसभाओं का आयोजन पूरे राज्य में आयोजित किये गये।

उत्तर-पूर्व राज्यों में हड़ताल आंशिक रूप से सफल रहा। वाम ट्रेड यूनियनों से संबंधित कार्यकर्ताओं ने रैलियों और जनसभाओं का आयोजन कई स्थानों पर किया। लेकिन त्रिपुरा में भी बंद का असर पश्चिम बंगाल की तरह पूर्ण सफल रहा।

आन्ध्र प्रदेश में हड़ताल कई स्थानों पर सफल रहा। विरोध रैली और जनसभाओं का आयोजन कई स्थानों पर किया गया। हैदराबाद शहर अपनी पहचान के अनुरूप हड़ताल आंशिक असर दिखा। अन्य जिलों में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हड़ताल में भाग लिया तथा केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों के नारे लगाये। तेदपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वामनेताओं के साथ मिलकर हड़ताल में भागीदारी की।

कर्नाटक में हड़ताल आंशिक रूप से सफल रहा। लेकिन फिर कई स्थानों पर रैलियो और रास्ता जाम किया गया। वामदलों के साथ जनता दल (सेकुलर) के कार्यकर्ताओं ने भी कई स्थानों पर हड़ताल में भागीदारी की।

तमिलनाडु में आश्चर्यजनक रूप से हड़ताल सफल रहा। सभी औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह बंद थे और श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। विशाल जनसभा और रैलियों का आयोजन का आयोजन चैन्नई, मदुरै, डिंडिगुल, कोयम्बटुर, थिरूपुर और तिरूनवेली में की गई। जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। एआईएडीएमके के नेताओं ने भी सक्रिय रूप से हड़ताल में भाग लिया।

पुदुचैरी इस बार जनता के लिये हड़ताल एक नया अनुभव था। सभी वामपार्टियों ने संयुक्त रूप से हड़ताल को सफल बनाया।

केरल में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की तरह पूरी तरह बंद रहा। सभी कार्यालय बंद थे, सड़कों पर कोई यातायात नहीं दिख रहे थे। कई स्थानों पर ट्रेनों को रोका गया। विशाल रैली और जनसभा का आयोजन सभी जिलों और तालुकों में किया गया। केरल की एलडीएफ ने हड़ताल को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

हड़ताल की इस चौतरफा सफलता यह दर्शाता हैं कि इस ज्वलंत मुद्दे पर सरकार की बेपरवाह रवैये का गुस्सा जनता में भरा हुआ है। 27 अप्रैल 2010 के इस हड़ताल ने सरकार को चेतावनी भरा संदेशा दिया कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चुप बैठेगी तो और अधिक जन आंदोलनों का सामना सरकार को करना पड़ेगा। वे नेता जो विभिन्न सभाओं में सरकार की घोर आलोचना करते हैं वे सरकार से कहे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनियमितताओं को तुरन्त समाप्त करके इसे सुदृढ़ बनाये। तथा यह भी मांग करें की वायदा कारोबार एवं कृषि क्षेत्र में कारपोरेट कम्पनियों के प्रवेश पर रोक लगाये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी उन लोगों को जिन्होंने इस हड़ताल को शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह सफल बनाया उन्हें सलाम करती है और हार्दिक बधाई देती है।

साथी अमर सिंह कुशवाहा अस्पताल में भर्ती

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक उपाध्यक्ष साथी अमर सिंह कुशवाहा जी अस्वस्थ होने के कारण कानपुर के अस्पताल के भर्ती है तथा इनके सभी कार्यक्रम स्थगित किये जाते है। पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास जी ने कानपुर जाकर अस्पताल अधिकारी से उनकी अस्वस्थता की जानकारी ली तो डॉक्टर ने बताया कि इनके मस्तिष्क में रक्त का थक्का (ब्ल्ड क्लोट) हो गया है। उनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

हम अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक परिवार के सभी सदस्य उनकी जल्दी स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं।

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की केन्द्रीय कमिटी की बैठक

"किसान बचाओ - देश बचाओ" और "जल-जंगल-जमीन के अधिकार" के नारे को बुलंद करो

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की केन्द्रीय कमिटी की बैठक 2.5.2010 को पटना में साथी देवब्रत बिश्वास की उपस्थिति में हुई। जिसकी अध्यक्षता साथी डॉ. हरीश गुप्ता ने की।

बैठक में तय किया गया कि पूर्व के निर्णय के आलोक में सदस्यता अभियान 30 जून 2010 तक समाप्त करना है।

11, 12 एवं 13 दिसम्बर 2010 को राष्ट्रीय सम्मेलन बिहटा (बिहार) में होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए स्वागत समिति के गठन हेतु दिनांक 12 जून 2010 को स्वामी सहजानन्द सरस्वती के कार्य स्थल, बिहटा (बिहार) में किसान कन्वेंशन होगा।

राष्ट्रीय सम्मेलन को विषयांकित करते हुये बिहार में एक सशक्त किसान समिति एवं व्यापक किसान संघर्ष के लिये केन्द्रीय कमिटी और राज्य कमिटी ने सदस्यता अभियान को कारगर ढंग से संचालित करने के लिये संयुक्त रूप से टीमों का गठन किया एवं टीम को सदस्यता का लक्ष्य पूरा करने का दायित्व दिया गया।

जून, जुलाई और अगस्त माह में ऑल इण्डिया अग्रगामी किसान सभा निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला सम्मेलन के आयोजन के साथ-साथ '**किसान बचाओ - देश बचाओ**' और '**जल-जंगल-जमीन के अधिकार**' के नारे के साथ निम्न मांगों को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन करे:

1 कृषि, कुटिर उद्योग और लघु उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश रोकों।

2 कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य।

3 कृषि उत्पादन के लिए बीज, खाद, बिजली सिंचाई और पूँजी आदि की व्यवस्था सरकार करें, किसान 110 करोड़ लोगों का पेट भरने का जिम्मेदारी किसान लेगा। जिसके लिये एक व्यापक योजना तैयार की जाये।

4 किसानों को 4 प्रतिशत की दर से सरल संस्थागत ऋण।

5 कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार पर रोक लगाई जाये।

6 कृषि मजदूरों के लिये केन्द्रीय कानून।

7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक किया जाये।

8 परियोजनाओं के पूर्व जनता/ग्राम सभा से विचार विमर्श किया जाये।

9 विस्थापितों के लिये पुनर्वास किया जाये तथा व्यापक पुनर्वास कानून बनाया जाए।

10 बिना किसी भेदभाव के 200 दिन का रोजगार मनरेगा में सुनिश्चित किया जाये एवं मनरेगा में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाये।

विस्थापन के सवाल पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन 9 अगस्त 2010 को चाण्डिल (झारखण्ड) में आयोजित की जायेगी।

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की बैठक आयोजित

त्रिपुरा : 22 मई 2010 को अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की त्रिपुरा राज्य कमिटी की सभा का आयोजन अगरतला में फारवर्ड ब्लॉक पार्टी कार्यालय में किया गया, जिसमें सिर्फ किसान सभा के उत्तरदायी कार्यकर्ताओं को ही आमंत्रित किया गया था। सभा में राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा के अलावा सांगठनिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा के सम्मेलन को ध्यान में रखते हुये सदस्यता अभियान 30 जून 2010 तक चलाये जाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात् स्थानीय, क्षेत्रिय, जिला और राज्य सम्मेलन का आयोजन 30 नवम्बर 2010 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया। राज्य की किसान सभा कमिटी का पुन: चयन किया गया जिसमें साथी श्यामल रॉय अध्यक्ष तथा साथी जीवन कृष्णा मजुमदार को महासचिव चयनित किया गया।

आसाम : गुवाहाटी में अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की आसाम राज्य कमिटी की बैठक 23 मई 2010 को आयोजित की गयी। जहाँ आसाम के लगभग 10 जिलों से कामगार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा 21 सदस्यीय आसाम राज्य कमिटी का गठन किया गया, जो इस प्रकार है: अध्यक्ष साथी इन्द्र कुमार विश्वकर्मा, महासचिव साथी अब्दुस सलाम, सचिव - साथी तारकेश्वर गोगोई, साथी लिलाकान्ता चुटिया, साथी बिनोदा बोरो, साथी जमीरुद्दीन, साथी फानी फूकन के अलावा 14 अन्य राज्य सदस्य चयनित किये गये। कमिटी ने निर्णय लिया की सदस्यता अभियान 30 जून 2010 तक चलाया जायेगा, जिसके पश्चात् शाखा सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन और राज्य सम्मेलन किया जायेगा। राज्य सम्मेलन का स्थान नांवगांव के होजोई में किया जाना तय हुआ। इसके अलावा सभा में पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के निर्णयों को कार्यरूप हेतु भी चर्चा की गयी।

सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता में त्राही-त्राही

जनगर्जन संवाददाता

महान ऐतिहासिक मई दिवस पर मजदूर संगठन समिति के बैनर तले राँची के जयपाल सिंह मैदान में आयोजित रैली एवं आमसभा को मुख्य अतिथि के रूप मे संबोधित करते हुये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने कहा कि आज सरकार की जनविरोधी मजदूर नीतियों के कारण मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमला हो रहा है। रोजगार के अवसर घट रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है, मुनाफे वाली सार्वजनिक इकाईयों को भी नीति उद्यमियों के पास बेचा जा रहा है, श्रम कानूनों का उल्लंघन कर कामगार वर्गों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है। इस परिस्थिति में कामगारों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूरों को आगे आना होगा तथा साम्राज्यवादी एवं पूँजीवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ना होगा।

साथी विश्वास ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सूबे के कोयला मजदूरों एवं इस्पात मजदूरों को संगठित करने में महान देशभक्त नेता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को याद दिलाते हुए कहा कि नेताजी ने कोयलांचलन में कोयला मजदूर एवं टाटा में इस्पात मजदूरों को एकजूट कर उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा था।

जल - जंगल - जमीन एवं विस्थापितों के पुनर्वास की लड़ाई को तेज करने की जरूरत की ओर रेखांकित करते हुए साथी विश्वास ने कहा कि आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, कारपोरेट घरानों के इशारे पर सरकार आदिवासियों एवं गरीबों को जंगल से खदेड़ रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, कारपोरेट घरानों को जल-जंगल एवं जमीन को लूटने की खूली छूट दी जा रही हे। विकास के नाम पर मुट्ठी भर लोगों के विकास के लिए सरकार

गरीबों को उजाड़ रही है। दंतेवाड़ा घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ की हत्या निश्चय ही दु:खद घटना है लेकिन जिस तरह से हलचल पैदा हुई है वैसे सलवा जुडुम के नाम पर हजारों आदिवासियों को जब मारा जा रहा था, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, उनके घरों में आग लगाया जा रहा था, उस समय भी उस घटना के प्रति दु:खी होना एवं हलचल उठना जरूरी था। व्यक्तिगत हिंसा एवं हत्या एवं हथियार बंद क्रांति से समाज से शोषण, उत्पीड़न दमन का खात्मा नहीं किया जा सकता है। इसके लिये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचारों पर आधारित व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तेज करना होगा एवं मुख्यधारा में शामिल होने की जरूरत है। आज माओवाद के नाम पर खनिज संपदा लूटने वाले कारपोरेट घरानों के ऊपर हमला नहीं हो रहा है।

आम सभा को फारवर्ड ब्लॉक प्रांतीय महासचिव साथी जनार्दन पाण्डेय, स्टेन स्वामी, बल्ला सिंह, आदि नेताओं ने संबोधित किया।

मई दिवस पर झारखण्ड कोलियरी मजदूर यूनियन, असंगठित मजदूर यूनियन, रिक्शा ठेला चालक युनियन सभी संबंधित टी.यू.सी.सी. की ओर से निरसा, धनबाद, देवघर, गिरीडीह, बोकारो, धनबाद, राँची में समारोह आयोजित किये गये।

टी.यू.सी.सी. ने ऐतिहासिक "मई दिवस" मनाया

हजारों श्रमिकों के साथ उनके पूँजीपति मालिकों द्वारा गुलामों की तरह ही सिर्फ व्यवहार नहीं किया जाता था बल्कि उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था, विशेषकर विश्व के विकसित देशों में यह आम बात थी जैसे अमेरिका पृथ्वी का महाशक्ति कहा जाता था, जहाँ शिकागो शहर में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की मांग को लेकर 1 मई 1886 में श्रमिकों की मांगों के लिये विरोध किये जाने पर उसके रचनाकारों द्वारा आक्रमण किया गया था। आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई तथा खून से नहाये कार्यकर्ता खून के तलाब में डूब गये और इस तरह लाल झण्डे की रचना और इस इतिहास रचा गया, जिसे हम आज भी याद करते हैं और आने वाले समृद्धशाली भविष्य की कल्पना को लेकर अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को कल भी याद करेंगे।

शिव सागर (आसाम) : आसाम राज्य में आज भी आजादी के बाद से सबसे अधिक वंचित आदिवासी लोग है, जो अब तक "हाथी पकड़ने" और लखिमपुर, धेमाजी, तेजपुर, सुनीति, जोरहाट, शिवसागर आदि जिलों में ग्रामीण मजदूरी का कार्य करते है। सभी जिलों सैकड़ों कार्यकर्ता नागरीखोला जिला के उच्च विद्यालय के मैदान में मई दिवस मनाने के लिये एकत्रित हुये। टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय महासचिव ने लाल झण्डे पर उछलते शेर वाले निशान का झण्डारोहण के साथ नारा लगाया जिसे हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ दोहाराया। इस महान अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मुर्तजा हुसैन, कृषि मंत्री, विपणन, आपदा एवं राहत प्रबंधन मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, भी उपस्थित थे, जिन्होंने शहीदों की पट्टिका पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। आसाम राज्य कमिटी अध्यक्ष साथी राजकुमार देवरा, महासचिव साथी रत्नेश्वर गोगोई, सेडोव असोम हाथीफांदी सोनमिलन कार्यकारी अध्यक्ष साथी बापुराम साइकिया, साथी प्रमोद फूकन, लेबर यूनियर अध्यक्ष साथी कामरूप आदि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सिल्चर में एक संयुक्त कार्यक्रम में टी.यू.सी.सी. के कार्यकर्ताओं ने साथी फिडेल चौधरी की अध्यक्षता में एक जुलुस निकाला गया जिसमें कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसका समापन नेताजी सुभाष पार्क में किया गया, जहाँ एक जनसभा का आयोजन किया गया।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : हर वर्ष की भांति एक विशाल जन सभा का आयोजन शहीद मिनार में किया गया जिसे कई वामनीत ट्रेड यूनियन नेताओं ने सम्बोधित किया, जिसमें साथी सरल देव (उपाध्यक्ष टीयूसीसी) भी उपस्थित थे। इसके अलावा बैरकपुर, बजबज चम्पदानी, हावड़ा आदि सहित पश्चिम बंगाल के कई स्थाना पर मई दिवस मनाया गया तथा जुलुस निकाला गया एवं गेट मीटिंग भी आयोजित की गई।

राँची (झारखण्ड) : मई दिवस के अवसर पर राँची के जसपाल सिंह स्टेडियम में नागरिक मजदूर समिति ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें खनन, यातायात, निर्माण आदि क्षेत्रों के हजारों श्रमिकों ने भाग लिया। इस सभा में मुख्य वक्ता साथी देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने अपने वक्तव्य में कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय की श्रमिक विरोधी नीतियों की घोर निंदा की, विनिवेश के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर एक ही छाते नीचे खड़े होकर संघर्ष करने का आह्वान किया, तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। समाचार प्राप्ती के अनुसार धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, बोकारो आदि में भी मई दिवस मनाया गया।

सत्तूर (तमिलनाडु) : टैक्सटाइल, यातायात, निर्माण, लोडमेन आदि के हजारों श्रमिकों 1मई 2010 को मई दिवस के अवसर पर विरूधुनगर जिला के छोटे से शहर सैत्तुर में एकत्रित हुये। जहाँ उन्होंने पटाखे फोड़े, ढोल–नगाड़ा बजाया। बच्चों ग्रुप ने नाच का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लोगों ने नारे लगाये तथा रंग बिरंगा जुलूस निकाला। टी.यू.सी.सी. का झण्डारोहण साथी एस.पी. तिवारी ने किया तथा टी.यू.सी.सी. अध्यक्ष साथी जी.आर. शिवशंकर ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर साथी एस.पी. तिवारी ने कहा कि इस मई दिवस के महत्त्वपूर्ण अवसर पर संगठित और असंगठित मजदूरों को संगठित करने की आवश्यकता है। उनहोंने आगे कहा कि टी.यू.सी.सी. सच्चे देश भक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और मुथुरामालिंगा थेवर के सपनों का समाजवादी भारत बनाने के लिये अग्रणी भूमिका निभायेगा। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि श्रमिक कानूनों के खुलेआम उल्लंघन के लिये और राज्य और केन्द्र सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया। साथी जी.आर. शिवशंकर ने समान विचारों वाले लोगों को इस संघर्ष के साथ जोड़ने का आग्रह किया।

बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश : प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिहार मेंपटना, नालंदा, नवादा, उत्तर प्रदेश के कन्नौज और मिर्जापुर तथा मध्य प्रदेश के

भीण्ड, कटनी, सतना, देवास और नागदा में टी.यू.सी.सी. के नेतृत्व में मई दिवस मनाया गया।

कर्नाटका : बैंगलौर वाम आधारित यूनियनों के संयुक्त जुलूस में टी.यू.सी.सी. के आंगनवाड़ी, होटल, यातायात, निर्माण आदि के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुये।

दिल्ली : टी.यू.सी.सी. के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में संयुक्त कार्यक्रम में भाग लिया।

मजदूर कानून का हक पाने के लिये संघर्ष जरूरी

दिनांक 16 अप्रैल 2010 को दोपहर 2 बजे से एन.आई.टी.टी.टी.आर., श्यामला हिल्स, भोपाल के सभागार में बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के निर्माण मजदूर संघों के नेताओं की सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता साथी वकील ठाकुर ने की।

बैठक का शुभारम्भ करते हुए टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय महासचिव साथी एस.पी. तिवारी ने देश के वर्तमान मजदूर आंदोलन एवं उनकी समस्याओं की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के अन्दर 92 प्रतिशत असंगठित मजदूरों की तादाद है। जिनमें निर्माण मजदूरों की बड़ी संख्या है। जहाँ असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन एवं दुर्घटना बीमा, महिला मजदूरों की जच्चा खर्च के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं। उसमें आधा अधूरा ही सही देश के अधिकांश राज्यों में 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन कर उसमें पंजीकरण का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इसके तहत निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा सहित अनेक सुविधायें एवं अन्य प्रावधान उपलब्ध है। इसका लाभ मजदूरों को मिलें इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में कार्यरत निर्माण कामगारों का एक राष्ट्रीय महासंघ का गठन किया जायें। क्योंकि महासंघ के द्वारा ही हम अपनी मांगों को कारगर ढंग से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष रख सकते हैं और अपने-अपने राज्यों में आंदोलनों एवं कार्यों का समन्वय कर संगठन को मजबूत और गतिशील कर सकते हैं।

साथी पी.एन. द्विवेदी दिल्ली ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि आज दिल्ली में लाखों निर्माण मजदूर कार्यरत है। राज्य सरकार ने कानून भी बना दिया मजूदरों का उसमें पंजीकरण भी जा रहा है परन्तु न तो ठीक ढंग से सेस की उगाही होती है न मजदूरों के हित में ठोस कार्य हो रहा है। हमें तुरन्त राष्ट्रीय महासंघ का गठन करना चाहिए और उसकी प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में कराये जाने की जवाबदेही को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं।

साथी अनिल शर्मा ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मजदूरों को हमें समझाना होगा कि कानून बनने से उनका कल्याण नहीं होता है बल्कि उससे हासिल करने के लिए संगठित होकर संघर्ष करने पड़ते हैं और हमें इस ऐतिहासिक संघर्ष को अगर नेतृत्व करनी है तो इसके लिए हमें एक मजबूत गतिशील, संघर्षशील और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला निर्माण मजदूरों का राष्ट्रीय महासंघ बनाना ही होगा।

साथी अरूण वांकर ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि निर्माण मजदूरों के संघर्ष को आगे ले जाने, उनके बीच नेताजी के विचारों को प्रचारित करने तथा अपने हक को हासिल करने के लिए महासंघ का गठन आवश्यक है।

बैठक में राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु स्वागत समिति का गठन किया गया जिसके संयोजक साथी पी.एन. द्विवेदी तथा सह-संयोजक अनिल शर्मा चयनित किये गये।

दिनांक 17 अप्रैल 2010 को बीड़ी मजदूरों का अखिल भारतीय महासंघ के गठन हेतु सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता साथी हंसराज अकेला ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए साथी एस.पी. तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव टी.यू.सी.सी. ने कहा कि बीड़ी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन तथा बच्चों की पढ़ाई तथा मकान का प्रावधान का कानून मौजूद है इसके बावजूद मजदूरों का जीवन अत्यन्त खराब हैं। उन्हें ईलाज के अभाव में कई गम्भीर बिमारियों का शिकार हो रहे हैं। न्यूनतम वेतन न कहीं लागू हैं और न अन्य सुविधायें। इन परिस्थितियों में हमें बीड़ी कामगारों को संगठित करने एवं उनके हक के लिये अखिल भारतीय फेडरेशन बनाना आवश्यक ही नहीं बल्कि समय की मांग भी है।

बैठक में साथी हंसराज अकेला की संयोजन में एक स्वागत समिति का गठन किया गया।

ए.आई.एस.बी. ने संसद के समक्ष प्रदर्शन का मंचन किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री से छात्र संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने का आग्रह किया।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के छात्र संगठन ऑल इण्डिया स्टूडेण्ट्स ब्लॉक ने शिक्षा के निजीकरण, व्यापारिकरण, और हर प्रकार से शिक्षा की कालाबाजारी के खिलाफ आज संसद के समक्ष प्रदर्शन का मंचन किया और मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह किया वे छात्र वर्ग के लम्बित पड़े

मामलों के संबंध में आगामी सत्र के आरम्भ होने से पूर्व छात्र संगठनों के साथ विचार-विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन करें।

एकत्रित छात्र समूह को साथी डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद एवं फारवर्ड ब्लॉक सचिव ने सम्बोधित किया। उन्होंने छात्रों से वादा किया कि वे ऑल इण्डिया स्टूडेण्ट्स ब्लॉक की मांगो को संसद के आगामी सत्र में उठायेंगे।

धरने-प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इण्डिया स्टूडेण्ट्स ब्लॉक महासिचव साथी अमरेश कुमार, सचिव साथी सुदिप बैनर्जी, के अलावा अन्य छात्र नेताओं ने किया।

इसके बाद नेताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन निम्न प्रकार से था:

सेवा में,

श्री कपिल सिब्बल,
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

महोदय जी,

महान देश भक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अनुयायी छात्रों के संघ ऑल इण्डिया स्टूडेण्ट्स ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने आज संसद के समक्ष प्रदर्शन का मंचन किया। जिनकी मांगें इस प्रकार है:

1. शिक्षा में निजीकरण, व्यापारिकरण और कालाबाजारी बंद की जाये।
2. शिक्षा के अधिकार के आर्थिक देय को केन्द्र सरकार पूर्ण रूप से लागू करे।
3. शिक्षा के सभी मुद्दों पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से इसकी चर्चा करें, क्योंकि यह संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
4. निजी और डीम्ड (आंशिक तौर पर) विश्वविद्यालयों को सख्ती से नियमित किया जाये।
5. शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होना चाहिये, विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक तुरन्त वापस लिया जाये।
6. उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिये शिक्षा बैंक की स्थापना की जाये।
7. सभी राज्यों में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। बिहार और राजस्थान में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना तुरन्त की जाये।
8. पेशेवर शिक्षा में व्याप्त प्रचलित विसंगतियों को दूर किया जाये।
9. दंत चिकित्सा के छात्रों के वजीफा में वृद्धि की जाये।
10. राजस्थान के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में चल रही धाँधलीबाजी की जाँच की जाये।
11. शिक्षा के उद्देश्य हेतु सभी शिक्षा उपकर शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रयोग किया जाये।
12. नेताजी के इतिहास और बलिदानों को विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।
13. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को 'देश प्रेम दिवस' घोषित किया जाये ताकि युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत की जाये।
14. उच्च शिक्षा की जानकारी हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना तालुका से लेकर जिला तक करें।
15. सभी प्रकार के चंदों और कैपिटेशन फी आदि बंद की जाये।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शैक्षिक समुदाय और छात्रों के इन उचित मांगों पर गौर करें। हम, नेताजी के अनुयायी हमेशा ही शिक्षा और शैक्षिक अधिकार के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

अत:, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे देश के छात्रों से जुड़े लंबित मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिये छात्र संगठनों की बैठक बुलाई जाये।

धन्यवाद।

अमरेश कुमार-महासचिव

आन्ध्र प्रदेश में फारवर्ड ब्लॉक की प्रतिनिधी सम्मेलन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की आन्ध्र प्रदेश राज्य स्तरीय प्रतिनिधी सम्मेलन का आयोजन 20 मई 2010 को बशीरबाग के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। जिसमें अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 20 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सम्मेलन का आयोजन साथी मुरलीधर राव देशपाण्डे की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक शानदार तरीके से हुआ। मुख्य अतिथि साथी देवब्रत बिश्वास ने अपने वक्तव्य में कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जनता के बीच में जाकर जमीनी स्तर से कार्य किया था और उसी तरह पार्टी कार्यकर्ताओं को स्वयं को पार्टी को समर्पित करते हुये पार्टी को मजबूत बनाने के लिये हमें भी जनता के बीच जाकर जमीनी स्तर से कार्य करना होगा, देश में समानता, आजादी, लोकतंत्र की रक्षा, अनुशासन और प्यार आदि नेताजी के दिखाये पार्टी के कार्यक्रमों का समय-समय पर पालन करना चाहिये। सम्मेलन में साथी देवब्रत बिश्वास ने प्रात: की सत्र में आवाज उठायी गई की नेताजी के जन्मदिवस 23 जनवरी को सरकार देश प्रेम दिवस घोषित करे।

बरकतपुर में फारवर्ड ब्लॉक के राज्य कार्यालय का उद्घाटन प्रात: 10 बजे मुख्य अतिथि साथी देवब्रत बिश्वास ने किया।

तत्पश्चात् साथी देवब्रत बिश्वास ने आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबु नायडू से राज्य की राजनैतिक परिस्थिति पर चर्चा की तथा 'देश प्रेम दिवस' के संदर्भ में नागरिक सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया। उसके उपरान्त साथी देवब्रत बिश्वास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जहाँ उन्होंने पार्टी के विचारों और आगामी कार्यक्रमों विस्तार पूर्वक बताया।